भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4054
12 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

राशन कार्ड रद्द करना

4054. श्री जय प्रकाश:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हरियाणा राज्य में, विशेषकर हिसार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, बीपीएल श्रेणी/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत जारी राशन कार्डों को रद्द किए जाने और नए पात्र परिवारों को शामिल न किए जाने के संबंध में शिकायतों से अवगत है;
(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान हिसार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष-वार, रद्द किए गए राशन कार्डों और नए स्वीकृत राशन कार्डों का ब्यौरा तथा उसके क्या कारण हैं;
(ग) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन और उनकी कवरेज सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) गरीब और कम आय वाले परिवारों पर आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करने तथा उन्हें किफायती मूल्यों पर खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का प्रचालन केंद्र सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। केंद्र सरकार खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के विनिर्दिष्ट डिपो तक परिवहन के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्न का आवंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण, उचित दर दुकानों के डीलरों को लाइसेंस जारी करना, एफपीएस के कामकाज का पर्यवेक्षण और निगरानी, आदि की प्रचालन संबंधी जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से संबंधित शिकायतों के निवारण एवं संपर्क स्थापित करने और लाभार्थियों द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हेल्पलाइन नंबर 1967/1800 (राज्य श्रृंखला संख्या) चालू है। जब भी किसी भी स्रोत से इस विभाग में पीडीएस से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जांच और उचित कार्रवाई के लिए भेजा जाता है।

...2/-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद, लाभार्थियों/परिवारों की पहचान के मानदंड को बीपीएल/एपीएल श्रेणियों से अलग कर दिया गया है और लाभार्थियों की पहचान दो श्रेणियों के तहत की जाती है, अर्थात्:-

(i) अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार, और
(ii) प्राथमिकता प्राप्त परिवार (पीएचएच)

हरियाणा सरकार ने बताया है कि हिसार निर्वाचन क्षेत्र से परिवारों से राशन कार्ड रद्द होने और नए पात्र परिवारों का नामांकन न होने के संबंध में पिछले तीन वर्षों में 222 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और हर माह अद्यतन किया जा रहा है।

राशन कार्डों का विवरण:

क्र. सं.	निर्वाचन क्षेत्र	वर्ष	जोड़ा गया नया राशन कार्ड	रद्द किया गया राशन कार्ड
1.	हिसार	2023	24901	36205
		2024	39775	25686
		2025	11730	4121
		2026	7582	157

*यदि परिवार पहचान पत्र के अनुसार आय 1.80 लाख रुपये से अधिक है, तो लाभार्थी पीएमजीकेएवाई राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है।

(घ): सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को लागू कर रही है, जो मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करती है, ताकि लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा सके।

पीएमजीकेएवाई का उद्देश्य 75% तक ग्रामीण और 50% तक शहरी आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति हैं। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाले परिवार जिसमें सबसे गरीब परिवारों आते हैं, को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जबकि प्राथमिकता प्राप्त परिवारों (पीएचएच) को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क प्राप्त करने की पात्रता है। इस अधिनियम के अंतर्गत कवरेज का दायरा काफी व्यापक है ताकि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिल सके।

सरकार ने गरीबों के लिए खाद्यान्न की सुलभता, वहनीयता और उपलब्धता के संदर्भ में पीएमजीकेएवाई के लाभार्थियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए और गरीबों की सहायता के लिए कार्यक्रम के राष्ट्रव्यापी एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, एनएफएसए के तहत दिनांक 1 जनवरी 2023 से अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने का निर्णय लिया था। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि को दिनांक 1 जनवरी, 2024 से और पांच साल के लिए बढ़ा दी गई है, जिसका अनुमानित वित्तीय परिव्यय 11.80 लाख करोड़ रुपये है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

...3/-

सरकार देशभर में स्थित 579 मूल्य निगरानी केंद्रों द्वारा प्रस्तुत 41 खाद्य पदार्थों के दैनिक मूल्यों की निगरानी करती है और अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा नियमित समीक्षाओं के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखती है। समिति नियमित रूप से आवश्यक कृषि-बागवानी वस्तुओं के मूल्यों की स्थिति और संभावित रुझानों की समीक्षा करती है और घरेलू उत्पादन बढ़ाकर तथा निर्यात-आयात नीतियों में युक्तिकरण करके उपलब्धता बढ़ाने के लिए सुझाव देती है।

सरकार कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता से निपटने और उपभोक्ताओं को ये आवश्यक खाद्य वस्तुएं किफायती दामों पर उपलब्ध कराने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत दालों और प्याज का एक बफर स्टॉक बनाए रखती है। मूल्य स्थिरीकरण हस्तक्षेपों के लिए पीएसएफ के तहत दालों और प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखा जाता है। बाजार में दालों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बफर भंडार से नियमित रूप से दालें जारी करने से कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। प्याज के मामले में, बफर स्टॉक कीमतों में मौसमी उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कम उत्पादन के मौसम में, बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकारी बफर स्टॉक से प्याज को एक नियमित और लक्षित तरीके से जारी किया जाता है।
